

बिहार सरकार,
ज.प्र.सं.प्र. एवं लैला विभाग
हाउस

- 4 -

॥ शिक्षा सूचना ॥

मुख्यमंत्री का नियन्त्रण - 1/2006-3459 / अ. 040, गट्टा - 15, बिहार - 800001

केन्द्र सरकार के अधिकारी प्रबंधन अधिकारियम, 2005 । 2005 का 53। का छारा । 4। ॥ में प्रदत्त शिक्षितयों का शुल्क तरतु हुए राज्य सरकार द्वारा "बिहार राज्य अधिकारी प्रबंधन ग्रामिकरण" के गठन किया जाता है, जिसका स्वर्गा अधिकारी प्रबंधन अधिकारियम, 2005 की छारा । 4। की उपचारा । 2। के अनुसा निम्नवत् होगा।

1. [क] बिहार राज्य के मुख्य मंत्री प्राधिकरण के पाँच अध्यक्ष होंगे।

[छ] इन्य सदस्य, जिन्होंनी संख्या आठ से अधिक नहीं होंगी, का नाम बिहार राज्य अधिकारी प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष [मुख्य मंत्री] के द्वारा निर्विचित किया जायेगा।

[घ] राज्य के मुख्य सचिव, पाँच सदस्य रहेंगे।

2. बिहार राज्य अधिकारी प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष [मुख्य मंत्री] के द्वारा उपत अधिकारी प्रबंधन अधिकारियम, 2005 की छारा । 4। की उपचारा । 3। एवं छारा । 4। उपचारा । 2। के रूपमें [छ] से प्रदत्त शिक्षितयों का उपयोग करते हुए जिन अन्य सदस्य अधिकारियम आठ। लाख लाख निर्विचित किया जायेगा, उनमें से एक को राज्य प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के साथ में अध्यक्ष द्वारा लाख निर्विचित किया जाएगा, जो प्राधिकरण के उपाध्यक्ष होंगे।

2.। प्राधिकरण के लाख निर्विचित सदस्यों एवं उपाध्यक्ष का कार्यकाल सामान्य तरीके पर अधिकारियों पर्याप्त साल का होगा।

3. अधिकारी प्रबंधन अधिकारियम, 2005 । 2005 का 53। की छारा । 6। के ग्रामिक तहत राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य अधिकारी प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यों के साथ ही प्राधिकारियों एवं कर्मचारियों के पार्वति का सुविधा वाहन इत्यादि की निम्नवत् विभागीय होगी।

निम्नवत् विभागीय होगी।

2006-3459

३००३०-

प्राप्ति ग्रन्थी

अनुमति

प्राप्ति ग्रन्थी का मार्ग
संकेत

		3	4
I.	मंगुकत सचिव	- 14300-18300	01
II.	अवर सचिव	- 10000-15200	01
III.	प्रशासक पदाधिकारी	- 6500 - 10500	01
IV.	सहायक	- 5500 - 9000	02
V.	लिखी सहायी कुमार यूटर फार शाल रखने वाले।	- 5500 - 9000	10 उपराज्यका के लिए एक सहत सदस्यों के एक-एक एवं मंगुकत सचिव के लिए एक पाद
V I.	डच्च बर्मीय दिपिङ	- 4000- 6000	01
V II.	बिहारीय दिपिङ	- 3050 - 4590	01
V III.	घाटक	- 3050- 4590	08 अदैशात्मक एवं शाल के स्वीकृत पाद के विरुद्ध दियुक्त निर्मित विषय दो हिन्दी संकला संकेत 240। डिग्री -
V X.	भारदेश्यात्म/अनुष्ठिवक	- 2550- 3200	13 18.7.2007 के अंत में दिविदा के अदैश पार की जाएवी।
x.	सफाई कर्मी	- 2550- 3200	01 वाह्य सत्रीत से

3.2. प्राचिकरण के आधार हेतु सात अस्वैरडर फार । ए०सी०। तथा फार्यात्य का
लिए एक महालति वैन क्रय किया जाता है।

बिहार राज्याल के अदैश से,

₹०/-

मतोज कुमार श्रीवास्तव
प्रधान सचिव।

कृष्ण०३०-—“२”

ଶିଖାର ମରନ୍ତି,
ତ ପାଦର ଦୁର୍ଗାମ କିମନ୍ତ ମ ।
ହରି

मुक्ता-१ दृष्टियोग-४/२००६-३४४७/आ००, गटख-१५, दिल्ली - ६८१।

केन्द्र सरकार ने भूगण्डा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) के द्वारा 14 (1) में ग्रहित शीदितयों का नुसार करते हुए राज्य सरकार द्वारा "बिहार राज्य भूगण्डा प्रबंधन अधिनियम" का घोषित किया जाता है, जिसका स्वसा अपार्टमेंट प्रबंधन अधिनियम, 2005 की द्वारा 14 की उपाधार 121 के अनुसा निम्नवत् है।

॥५॥ अन्य सदस्य, जिकंकी संख्या अरेठ से अधिक नहीं होती, का बड़ा बिहार
राज्य अपादा प्रबंधन प्रशिकरण के मध्यक मुख्य मंत्री। के द्वारा बिर्डिंग तिनी
लायेगा ।

४६ राज्य के मुख्य सचिव, प्रदेश सदस्य रहेंगे।

2. बिहार राज्य अधादा ग्रंथालय एवं विद्यकरण के अध्यक्ष मुख्य मंत्री। नेहरू उपर्युक्त अधादा ग्रंथालय अधिकारियम, 2005 की आरा 14 की उपर्यारा 13। एवं आरा 14 उपर्यारा 12। के छण्ड 17 से ग्रन्थालय को उपर्याग करते हुए जिन अन्य सदस्यों अधिकतम अधारा 10 से लिखित किया जायगा, उनमें से एक को राज्य एवं विद्यकरण के उपर्युक्त के सामने अध्यक्ष नेहरू नाम लिखित किया जाएगा, जो एवं विद्यकरण के उपर्युक्त होगी।

2.1. प्रादिकरण के लाभ लिहिंष्ट सदस्यों एवं नगरपालिका का कार्यकाल समर्पित है।

3. अपादा ग्रंथालभिक्षिक्यम्, 2005 | 2005 की 53। की छारा 16 के प्रवचन तहत राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य अपादा ग्रंथालभिक्षिक्यम् के संहत पद्धतिकारियों एवं कर्मधारियों के पार्दे का सूचल तथा वाहन इत्यादि की व

क्षिम्बनवत ली जाती है :-

6140

ଫୋଟୋଗ୍ରାଫିକ୍